कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक- जी.डीI/ए.सी./AMC/K-64/2024-25/ दिनांक:

निविदा आमंत्रण

महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर कार्यालय में स्थापित 46 स्पिलिट एसी (30 ए.सी. 1.5 टन तथा 16 ए.सी.2.0 टन) एवं 19 कैसेट एसी 4 टन की सर्विसिंग एवं इनमें लगने वाले आवश्यक पार्टस हेतु वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत (AMC) की अवधि दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक के लिये निविदाऐं GEM पोर्टल पर आमन्त्रित की जाती है |

इस निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्ते इस कार्यालय की वेबसाइट (https://cag.gov.in/ae/rajasthan/en) पर उपलब्ध है |

हस्ता./-

व.उप महालेखाकार (प्रशासन)

_

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक- जी.डी.।/ए.सी./AMC/K-64/2024-25/ दिनांक:

विषयः- कार्यालय में स्पिलिट एसी एवं कैसेट एसी की सर्विसिंग एवं आवश्यक पार्टस दरों की निविदा बावत् ।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) कार्यालय में स्थापित 46 स्पिलिट एसी (30 ए. सी. 1.5 टन तथा 16 ए.सी.2.0 टन) एवं 19 कैसेट एसी (4 टन) की सर्विसिंग एवं इनमें लगने वाले आवश्यक पार्टस हेतु GeM पोर्टल पर निविदा आमंत्रित की जाती है।

GeM पोर्टल के अलावा कार्यालय की अन्य नियम एवं शर्ते

1. जिस फर्म का टेंडर मंजूर होगा उसे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक़.) से सूचना मिलने के 3 दिन के अन्दर 5% की दर से प्रतिभूति (P&AO I.A.&A.D. Rajasthan Jaipur) 15 माह के लिए कार्यालय में जमा करनी होगी |
2. टेंडर स्वीकृत होने के पश्चात यदि ठेकेदार अपने टेंडर से विमुख होगा या 5 दिन में प्रतिभूति जमा की रकम जमा नहीं कराएगा व अनुबंध नहीं भरेगा तो कार्यालय द्वारा GEM पर रेड मार्क (Red flag) किया जावेगा |
3. **फर्म का पंजीकृत कार्यालय जयपुर में होना चाहिए | वर्तमान पते का अद्यतन (latest) प्रमाण पत्र सलंग्न किया जाना चाहिए जिससे भौतिक सत्यापन किया जा सके |**
4. यदि कोई निविदादाता MSME श्रेणी होने के कारण कोई छूट चाहता है तो कृपया नवीनतम आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करे |
5. Split ACs (1.5टन तथा 2 टन) एवं Inverter Cassette A.C. (Make L.G. 4 TON) की ए.एम.सी. की अवधि दिनांक 01 अप्रेल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की होगी ।
6. Split ACs की Servicing की दरें अलग स्पष्ट रूप से अंकित करें, Servicing में थर्मोस्टेट की चैकिंग, सभी इलेक्ट्रिक कनेक्शन को कसने, मूविंग Parts की लुब्रिकेशन करने, एयर फिल्टर को साफ करने Evaporator एवं Condenser की कॉयल्स को साफ करने एवं Overhauling का कार्य शामिल है ।
7. फर्म को किसी भी खराब ए.सी. की लिखित या मौखिक शिकायत मिलने पर वह कार्यालय के जी.डी. अनुभाग के संबंधित कर्मचारी को साथ लेकर उस खराब ए.सी. का निरीक्षण कर उसमें होने वाली मरम्मत, पार्टस को बदलने, गैस चार्जिंग आदि कार्य की जॉब स्लिप एवं खर्चे का अनुमान तैयार कर जीडी अनुभाग को प्रस्तुत करेगा एवं जी.डी. अनुभाग के अनुमोदन के पश्चात ही उस खराब ए.सी. की मरम्मत, पार्टस को बदलने, गैस चार्जिग आदि कार्य करेगी। पुराने पार्टस उसे जी. डी. अनुभाग में जमा कराने होंगे तथा किये गये कार्य, AMC का बिल 07 दिवस के भीतर भुगतान हेतु तीन प्रतियों में जी.डी. अनुभाग को प्रस्तुत करेंगे ।
8. Split ए.सी. एवं केसेट ए.सी. में जो भी पार्टस लगाये जायेंगे वे अच्छी एवं ब्रान्डेड कम्पनी के होंगे तथा उनकी वारन्टी न्यूनतम 6 माह की देनी होगी ।
9. फर्म को ए.सी. खराब होने की दूरभाष या लिखित में शिकायत मिलने पर उसी दिन उसे सर्विस इंजिनियर को खराब ए.सी. की मरम्मत करने के लिये भेजना होगा। शिकायत मिलने के 02 कार्य दिवस के अन्दर यदि फर्म कार्य नहीं करती है तो तीसरे कार्य दिवस से 100/- प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति शुल्क वसूल किया जावेगा |
10. यदि ए.सी. मे कोई खराबी है एवं उसे रिपेयर करने या पार्टस बदलने के लिये वर्कशॉप में ले जानेकी आवश्यकता है तो कार्यालय के अधिकृत गेट पास प्राप्त कर ही मशीन या पार्टस बाहर ले जायेंगे एवं ले जाने की दिनांक से 02 कार्य दिवस के भीतर कार्यालय में वापस स्थापित करनी होंगी, मशीन की Safe Custody के लिए फर्म पूर्णतः जिम्मेदार होगी।
11. यदि फर्म दो दिवस में ए.सी. की रिपेयर करने में असफल रहती है तो उसके लिये की गई वैकल्पिक व्यवस्था पर जो भी व्यय होगा उसकी वसूली फर्म के बिलों से की जावेगी ।
12. इस अवधि के दौरान यदि फर्म का कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो AMC की अवधि में विस्तार किया जा सकता है ।
13. यदि किसी एयरकन्डीशनर का कम्प्रेशर खराब हो जाता है तो और वह रिपेयर नही हो पाता है तो एयरकन्डीशनर में अच्छी कम्पनी का एवं ब्रान्डेड कम्प्रेशर लगाना होगा एवं उसकी कम से कम 3 वर्ष की वारंटी भी देनी होगी।
14. संलग्न अनुसूची 'ए एवं बी' में Servicing की दरें, पार्टस एवं गैस चार्जिंग की दरे स्पष्ट रूप से अकित करे (दरे जी एस टी एवं सभी करो सहित) तथा शर्तो एवं वारंटी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। सूची के वर्णित पार्टस के अतिरिक्त यदि अन्य कोई पार्टस की आवश्यकता है तो उनकी दरें भी अंकित करें।
15. भुगतान के समय Income Tax Act, 1961 के अनुसार समय समय पर TDS काटा जायेगा |

16. यदि यह प्रमाणित होता है की कार्यालय परिसर में आपके कर्मचारियों द्वारा कोई भी चोरी या सरकारी सम्पत्ति के साथ छेदछाड़ की गयी है तो आवशयक क़ानूनी कार्यवाही की जावेगी व हानि की राशि फर्म द्वारा वहन की जायेगी |
17. प्रधान महालेखाकार (लेखा. व हक़.), राजस्थान जयपुर को अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं |
18. फर्म के कर्मचारियों द्वारा यदि कार्यालय की किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई फर्म से की जावेगी |
19. उक्त शर्तो के पालनार्थ फर्म को 500/- रूपये गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र/सहमती पत्र देना होगा |
20. यदि फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसे एक माह के नोटिस के पश्चात निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय को होगा |
21. इस टेंडर के अंतर्गत किसी भी शर्त अथवा दावे के संबंध में कोई भी विवाद हो तो उसे वरि. उपमहालेखाकार (लेखा व हक़) राजस्थान, जयपुर को विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा |
22. फर्म को जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन, फर्म का रजिस्ट्रेशन एवं KYC details के साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगें ।
23. **निविदा के साथ संलगन EXCEL शीट पूर्णतया भरी होनी चाहिए , अपूर्ण शीट वाली फर्मो का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा |**

संलग्न: सूची

हस्ता./-

वरिष्ठ लेखाधिकारी/जी.डी.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

फर्म का नाम मय मोहर

Digitally signed by
Khem Chand Tiwari
Date: 13-02-2025
11:21:15